कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / लेखा / डी–2 / 28013 / 18–19 दिनांकः 24.05.2018

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक प्रथम / द्वितीय
समस्त ।

अति क्र/आ8245

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2016–17 में सामान्य वर्ग (आर्थिक पिछड़ा वर्ग) की छात्राओं को स्कूटी वितरण करने के सम्बन्ध में ।
प्रसंग :– इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति शिविरा / माध्य / लेखा / डी–2 / 28013 / 17–18 दिनांक 21.05.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक के संदर्भ में लेख है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट घोषणा संख्या 155.04 की क्रियान्वित के अन्तर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं को कुल 400 स्कूटियां वितरित की जानी थी परन्तु प्रवेशिका, कक्षा 12 (वाणिज्य,कला) तथा वरिष्ठ उपाध्याय की पात्र छात्राओं के पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने से कुल 400 स्कूटियों का पूर्ण वितरण नहीं किया जा सका । अतः शासन के निर्देशानुसार शेष रही स्कूटियों के वितरण हेतु पुनः प्रयास किया जाकर आवेदन प्राप्त कर शेष रही स्कूटियों को वितरित किये जाने का निर्णय लिया है । इसी संदर्भ में दिनांक 21.05.18 को विज्ञप्ति (प्रति संलग्न) जारी की गई है । विज्ञप्ति की प्रति कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे व इस सम्बन्ध में जिले के अधीनस्थ विद्यालयों को सूचित किया जाकर निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को दिनांक 15.06.2018 तक सूचित किया जावे । जिला कार्यालयों से प्राप्त सूची के अनुसार इस कार्यालय द्वारा 302 स्कूटियां सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं को स्वीकृत की जा चुकी है । कक्षा एवं विषयवार शेष रही स्कूटियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है जिनके आवेदन पत्र विज्ञप्ति अनुसार लिये जाने है :–

प्रवेशिका	कक्षा 12		वरिष्ठ उपाध्याय
	कला	वाणिज्य	
02	25	65	06

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में शेष रही पात्र मेधावी छात्राओं से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज दिनांक 10.06.2018 तक प्राप्त कर नियमानुसार जांच कर दिनांक 15.06.18 तक इस कार्यालय में व्यक्तिशः प्रस्तुत करें। इसके साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी जिले में शैक्षणिक सत्र 2016–17 के लिये सामान्य वर्ग (आर्थिक पिछड़ा वर्ग) की मेधावी छात्रा जो स्कूटी के लिये पात्र है स्कूटी से वंचित नहीं रही है,ताकि राज्य सरकार को योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके । आवेदन पत्र की छाया प्रति संलग्न की जा रही है ।
संलग्न :– विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र की छाया प्रति ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :– समस्त उपनिदेशक माध्यमिक को विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र की छाया प्रति संलग्न कर निर्देश दिये जाते है कि इस सम्बन्ध में अधीनस्थ अधिकारियों को पाबन्द कर समेकित रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक 15.06.2018 तक भिजवाई जाना सुनिश्चित करें ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / लेखा / डी–2 / 28013 / 17–18 दिनांक: 21.05.2018

विज्ञप्ति सूचना

वित्तीय वर्ष 2017–18 की बजट घोषणा संख्या 155.04 की क्रियान्विति हेतु आर्थिक पिछड़ा वर्ग–जिसमें अल्प संख्यक वर्ग के सामान्य वर्ग / जाति भी सम्मिलित है– (सामान्य वर्ग) की जिन छात्राओं के परिवार की वित्तीय वर्ष 2016–17 में सकल वार्षिक आय राशि रूपये 2,50,000 /– से कम हो तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान–अजमेर द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2016–17 की (सरकारी / निजी) प्रवेशिका,कक्षा–12 (कला, वाणिज्य) व वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो, पात्र छात्राओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण–पत्रों के साथ आमंत्रित किये जाते है । निर्धारित तिथि दिनांक 10.06.2018 के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें । विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम संख्या	निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप के सम्बन्ध में विवरण	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व स्थान
1	कार्यालय,समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम व विभागीय वैबसाईट www.education.rajasthan.gov.in / www.rajrmsa.nic.in पर निःशुल्क उपलब्ध है ।	दिनांक 10.06.2018 (कार्यालय समय) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम / विद्यालय (सरकारी / निजी) जहां से सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान–बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर

आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) की मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,अजमेर (सरकारी/निजी विद्यालय) द्वारा आयोजित शैक्षणिक वर्ष 2016–17 की कक्षा–10, प्रवेशिका, कक्षा–12 (कला, वाणिज्य, विज्ञान) व वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं हेतु

: : आवेदन पत्र : :

आवेदन पत्र प्रस्तुत करनें की अन्तिम दिनांक 30.11.2017 स्थानः–विद्यालय जहां से सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण की है ।

शाला–प्रधान द्वारा छात्रा की सत्यापित फोटो मय सील

1. छात्रा का नाम..
2. पिता/पति का नाम..
3. जन्मतिथि..
   (सैकण्ड्री परीक्षा प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
4. जाति..
   (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
5. निवास का पता..
   ....जिला..राज्य..............
   फोन (एस.टी.डी. कोड)..फोन नं0..................................मोबाईल नं0......................
6. मूल निवास स्थान..
   (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
7. आधार कार्ड नं0/ E.I.D. No. (स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)..
8. भामाशाह कार्ड नं0/ E.I.D. No. (स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)..
9. माता/पिता/पति/अभिवावक/संरक्षक का व्यवसाय..
10. छात्र के माता/पिता/पति/अभिवावक/संरक्षक की वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल वार्षिक आय ....
    (मूल आय प्रमाण–पत्र संलग्न करें जो छः माह से अधिक पुराना नहीं हो तथा सकल वार्षिक आय राशि रुपये 2,50,000/– से कम हो।)

11- क्या छात्रा द्वारा बजट घोषणा संख्या 155.1के अन्तर्गत एकमुश्त राशि रूपये 15000/– एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का विकल्प दिया है । यदि नहीं तो बजट घोषणा संख्या 155.5के अन्तर्गत स्कूटी प्राप्त करने हेतु स्व हस्ताक्षरित शपथ–पत्र संलग्न करें ।

12- परीक्षा से सम्बन्धित विवरण :

कक्षा/संकाय का नाम	परीक्षा वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	राजकीय/निजी विद्यालय का नाम (जहां अध्ययन किया गया)
कक्षा–10	2016–17			
प्रवेशिका	2016–17			
कक्षा–12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य)	2016–17			
वरिष्ठ उपाध्याय	2016–17			

13- छात्रा द्वारा वितरित स्कूटी के रजिस्ट्रेशन/बीमा/परिवहन विभाग द्वारा वसूल किये जाने वाले शुल्क के

भुगतान को स्वयं के स्तर पर करने के सम्बन्ध में स्व–हस्ताक्षरित शपथ पत्र संलग्न करें ।

14- प्रमाण–पत्र : .... (छात्रा का नाम) प्रमाणित करती हूँ कि बिन्दू संख्या 01 से 13 में अंकित की गई समस्त सूचनाऐं पूर्णतः सही व सत्य है । यदि प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना/तथ्य असत्य पाये गये तो मैं स्कूटी की लागत राशि वापिस राजकोष में जमा करवानें का वचन देती हूँ ।

दिनांक

संलग्नक :

छात्रा के हस्ताक्षर

क्रम संख्या	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजो का विवरण	हां/नहीं अंकित करें
1	उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण–पत्र व अंक तालिका की स्व–प्रमाणित प्रति	
2	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति	
3	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति	
4	आधार–कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति	
5	भामाशाह कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति	
6	सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में (समस्त स्रोतों) राशि रूपये 2,50,000 से कम वार्षिक आय के सम्बन्ध में छात्रा के माता–पिता/पति/अभिवावक/संरक्षक की आय के आधार पर जारी आय–प्रमाण पत्र । (आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक की अवधि का नहीं होना चाहिये ।)	
7	छात्रा द्वारा बजट घोषणा संख्या 155.01 के अन्तर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त नहीं करने बाबत स्व–प्रमाणित शपथ पत्र	
8	छात्रा द्वारा राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2017–18 में किसी अन्य घोषणा के अन्तर्गत स्कूटी प्राप्त नहीं करने के अन्तर्गत स्व–प्रमाणित शपथ पत्र	
9	छात्रा द्वारा स्कूटी के रजिस्ट्रेशन/बीमा/परिवहन विभाग द्वारा वसूल किये जाने वाले शुल्क के सहमति के सम्बन्ध में स्व हस्ताक्षरित शपथ पत्र	

छात्रा के हस्ताक्षर

(राजकीय व निजी विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा.. पुत्री.. ने शैक्षणिक वर्ष 2016–17 मे शाला के अभिलेख अनुसार कक्षा............... में अध्ययनरत रहकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल प्राप्तांक.............. प्रतिशत अंक..................... प्राप्त किये है ।

जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक–प्रथम
को प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 04.12.2017

हस्ताक्षर शाला/संस्था प्रधान
मय सील